CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

Date: 21 अप्रैल 2023

सिनेमैटोग्राफी बिल

संदर्भ- हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों में पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमैटोग्राफी विधेयक को मंजूरी दे दी है।

बिल की आवश्यकता-

- पायरेसी के खतरे से निपटने के लिए – अकामाई व MUSO रिपोर्ट के अनुसार पायरेसी सामग्री, वैश्विक मांग के तीसरे स्थान पर रही और भारत 2021 में पायरेटेड सामग्री की खपत के लिए विश्व में तीसरा स्थान रखता है।
- पायरेसी के कारण प्रति वर्ष भारत के फिल्म उद्योग को 1000 करोड़ की हानि हो रही है।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और सिनेमैटोग्राफी हेतु उपबंध- भारत में फिल्म उद्योग को 70 से भी अधिक का समय हो गया है। फिल्मों का समाज पर गहरा असर पड़ता है इसलिए फिल्मों के विषय व प्रसारण को समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए प्रमाणित किया जाता है। समाज में लैंगिकता, साम्प्रदायिकता, राजनीतिक विवाद, हिंसा , अश्लीलता के आधार पर या किसी भी व्यक्ति का अनुचित चित्रण पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सिनेमैटोग्राफी से संबंधित मामलों के लिए केवल एक कानून है-

सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952-

- अधिनियम के तहत 12 वर्ष या अधिक उम्र के बच्चों पर फिल्मों के दुष्प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है।
- फिल्म को प्रसारित करने से पूर्व इसे तीन चरणों से होकर गुजरना होता है- जाँच समिति,पुनरीक्षण समिति और FCAT। इस प्रक्रिया में पास न होने पर फिल्म पर रोक लगायी जा सकती है।
- किसी भी अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा उचित जाँच की जाती है। उसके आधार पर ही फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वयस्क आधारित फिल्मों (18 वर्ष से अधिक) के लिए A सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र भारत के राजपत्र में सूचित किया जाता है।
- एक्ट के तहत निर्धारित की गई अधिसूचना के उल्लंघन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1972 के तहत दण्ड का प्रावधान भी किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021

ऑनलाइन समाचार, ओटीटी व डिजीटल प्लेटफॉर्म, विश्व भर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है जिसमें अपने डेटा व फिल्म अंश को सुरक्षित कर पाना जटिल हो गया है। इसके तहत निम्नलिखित कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

- प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी फिल्म या वीडियो के किसी अंश की प्रतिरूप बनाने की अनुमति नहीं है।
- ऑनलाइन समाचार, ओटीटी व डिजीटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के लिए निर्देश जारी किए हैं।
- डिजीटल माध्यम द्वारा समाचार प्रकाशित कर रहे प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है।

सिनेमैटोग्राफी संशोधन बिल

- **सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952** में पायरेसी या डेटा चोरी या कॉपीराइट से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। यह केवल फिल्मों के नियमन से संबंधित है।
- विधेयक में UA प्रमाणन को आयु के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है- UA7+, UA13+, UA16+
- अवैध सामग्री रिकॉर्ड करने से संबंधित वेबसाइट पर रोक।
- किसी भी व्यक्ति को लेखक के लिखित प्राधिकरण के बिना किसी फिल्म या उसके हिस्से की प्रतिलिपि बनाने या प्रसारित करने या प्रसारित करने के लिए किसी भी ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 5बी(1) के उल्लंघन की शिकायतों पर सरकार को एक प्रमाणित फिल्म की "पुनः जांच" का आदेश देने का अधिकार दिया गया है।

- डिजीटल माध्यमों के लिए सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 5बी(1), संविधान के अनुच्छेद 19 (B) को समर्थन करती है। जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हितों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाती है।

बिल हेतु समितियाँ

मुद्गल समिति-

- पूर्व न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में मुद्गल समिति का गठन 4 फरवरी 2013 को किया गया था।
- समिति के अंतर्गत लैंगिकता, साम्प्रदायिकता, राजनीतिक विवाद, हिंसा, अश्लीलता के आधार पर किसी भी व्यक्ति का अनुचित चित्रण करने से संबंधित मामलों पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी।

श्याम बेनेगल समिति-

सीबीएफसी केवल एक फिल्म प्रमाणन निकाय होना चाहिए जिसका दायरा प्रमाणीकरण से इनकार करने के निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयु और परिपक्वता के आधार पर दर्शकों के समूहों के लिए फिल्म की उपयुक्तता को वर्गीकृत करने तक सीमित होना चाहिए –

- जब किसी फिल्म में कुछ भी हो जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।
- जब किसी फिल्म की सामग्री प्रमाणन की उच्चतम श्रेणी में निर्धारित सीमा को पार कर जाती है।

स्रोत

Indian Express

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=142288

Gunjan Joshi

सिविल सर्विस दिवस – 21 अप्रैल 2023

भारत में सिविल सेवा दिवस आज 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जा रहा है, भारत की आजादी के बाद सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सभी भारतीय सिविल सेवकों को सम्मानित करते हुए उन्हें **भारत का स्टील फ्रेम** कहा। इसी दिन से इस सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कहा जाता है। यह दिवस सिविल सेवकों द्वारा स्वयं को देश को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

भारत में सिविल सेवा का इतिहास

भारत में सिविल सेवा शब्द का प्रारंभ ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कार्नवालिस को कहा जाता है, उसने ही भारत में प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। कार्नवालिस के बाद वैलेजली ने कलकत्ता में नए सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। प्रारंभिक ब्रिटिश राज में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण, इंग्लैण्ड के प्रशासनिक केंद्र हैलीबरी में दिया जाता था। जिसमें भारतीयों के लिए स्थान न था। भारतीयों के लिए योग्यता आधारित सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में स्थापित की गई थी।

1853 का चार्टर एक्ट –

- इस अधिनियम के अनुसार देश के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया।
- इस अधिनियम में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान रखा गया था। और
- 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। जिसके तहत इस परीक्षा में भारतीय भी भाग ले सकते थे।

मैकाले समिति और सिविल सेवा परीक्षा की स्थिति

- मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में **सिविल सेवा आयोग** की स्थापना की गई।
- 1855 से परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा,
- परीक्षा का उद्देश्य योग्यता के आधार पर प्रशासनिक भर्ती करना था।
- प्रारंभ में भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी।
- **आयु सीमा-** परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी।
- **पाठ्यक्रम –** पाठ्यक्रम में यूरोपीय क्लासिकी को प्रमुखता दी गई थी।

सिविल सेवा अधिनियम 1861-

- इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता था।
- इसके तहत भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करने के प्रयास किए गए।
- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाएगी.
- इसके तहत पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया।
- भारत में सबसे पहले इस परीक्षा को सत्येंद्र नाथ टैगोर ने उत्तीर्ण किया।

सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की तत्कालीन चुनौतियाँ-

- **आयुसीमा व परीक्षा केंद्र –** चार्टर एक्ट में परिवर्तन के साथ आयुसीमा में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम परीक्षा देने की अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित थी किंतु कुछ वर्ष के बाद अधिकतम आयु को 19 वर्ष कर दिया। भारतीयों का मात्र 19 वर्ष की आयु में परीक्षा देने के लिए लंदन तक जाना बहुत कठिन था।
- **परीक्षा का पाठ्यक्रम** यूरोपीय साहित्य व संस्कृति पर आधारित था।
- भारतीयों के लिए यह परीक्षा आधिकारिक तौर पर स्वीकृत थी किंतु व्यावहारिक रूप से परीक्षा को भारतीयों के लिए प्रतिबंधित किया था।
- इन प्रतिबंधों के बाद भी सत्येंद्र नाथ टैगोर

व्यावहारिक रूप से भेदभाव रहित परीक्षा के लिए प्रयास-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिफारिश – कांग्रेस के द्वारा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए अंग्रेज सत्ता से मांग की-

- सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाए।
- सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत व इंग्लैण्ड दोनों स्थानों पर करवाया जाए।

एटकिंसन समिति 1886- लॉर्ड डफरिन ने एटकिंसन समिति का गठन किया, जिसके तहत निम्नलिखित सिफारिश की गई-

- सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन की आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए।
- परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए।
- सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया जाए- स्थानीय़ सेवा , प्रांतीय सिविल सेवा, अधीनस्थ सिविल सेवा।

मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार –

- इसके तहत परीक्षा को भारत व इंग्लैण्ड दोनों ही स्थानों पर कराए जाने की सिफारिश की गई।
- प्रशासनिक सेवा में एक तिहाई पद भारतीयों के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की गई।
- सिफारिशों में भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों को डेढ़ गुना बढ़ाने का प्रावधान था।

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा

- मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सिफारिशों के बाद **भारत में इस परीक्षा का सर्वप्रथम आयोजन 1922** में इलाहाबाद में किया गया।
- भारत में इस परीक्षा के प्रबंधन के लिए फेडरेल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई जिसके बाद यह परीक्षा दिल्ली में भी आयोजित की गई।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- स्वतंत्रता के बाद फेडरेल लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद 378 के खण्ड 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया।

स्रोत

https://www.upsc.gov.in/

https://newsonair.com/hindi/2021/06/05/steel-frame-of-india-latest-news-and-updates/

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com